प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 01 /2025
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांक:फरवरी 10 ,2025

विषयः उ0प्र0 राज्य में पंजीकृत की गयी Zero FIR का स्थानांतरण अन्य राज्यों में किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

BNSS-2023 की धारा-173(1) में यह व्यवस्था है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध के घटनास्थल से इतर थाने पर भी पंजीकृत की जा सकती है। इस प्रकार पंजीकृत की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट को अधिकारिता वाले थाना क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने की व्यवस्था उ0प्र0 शासन द्वारा जारी BNSS नियमावली के नियम-9(9) में निम्नवत दी गयी है—

> **"If the concerned police station is in another State, the case shall be transferred through the Headquarters of the Director General of Police."**

2- उपरोक्त से स्पष्ट है कि उ0प्र0 के किसी थाने पर पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट का घटनास्थल प्रदेश से बाहर का पाये जाने पर Zero FIR को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से सम्बन्धित प्रदेश में स्थानान्तरित किया जायेगा।

3- नवीन आपराधिक कानूनों के लागू होने के उपरान्त सीसीटीएनएस पर उपलब्ध सूचना के अनुसार फरवरी 2025 तक उ0प्र0 के विभिन्न थानों में कुल 167 Zero FIR पंजीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है, किन्तु इन Zero FIRs को सम्बन्धित प्रदेश में स्थानान्तरित किये जाने की सूचना प्राप्त करने पर सम्बन्धित जनपदों / इकाईयों द्वारा संतोषजनक आख्या नहीं उपलब्ध करायी गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पत्र संख्या-डीजी-सात-सा0से0(विविध-02)/2025 दिनांकित 11.01.2025 द्वारा विभिन्न थानों पर पंजीकृत समस्त जीरो प्रथम सूचना रिपोर्ट को शत-प्रतिशत अपराध संख्या में परिवर्तित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4- प्रदेश के बाहर के थानों से सम्बन्धित Zero FIR का सम्बन्धित राज्यों में स्थानान्तरण मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से किये जाने सम्बन्धी नियम का अनुपालन न किये जाने से, सम्बन्धित राज्यों में ऐसे प्रकरणों को अपराध संख्या में परिवर्तित किये जाने में बाधा उत्पन्न होती है। समय से जीरो प्रथम सूचना रिपोर्टों के अपराध संख्या में पंजीकृत न किये जाने से विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब होता है, जिससे पीड़ित का हित प्रभावित होता है।

.............2

Zero FIRके सापेक्ष घटनास्थल वाले राज्य में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या प्राप्त कर उसका समुचित अभिलेखीकरण किया जाए।

5- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन द्वारा जारी BNSS नियमावली के नियम-9(9) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के बाहर के थानों से सम्बन्धित Zero FIR का सम्बन्धित राज्यों में स्थानान्तरण मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के माध्यम से किये जाने सम्बन्धी नियम का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

10.2.25

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।